81. 28 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के पदों में पदभार ग्रहण करने हेतु बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए समय–सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश प्राप्त हुआ है कि इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.10.2005 को संदर्भ ग्रहण करे और यह उल्लेख करे कि चूंकि सरकार ने इस मामले की समीक्षा की है और निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ऐसे अधिकारियों को विवर्जित करने हेतु जारी किया है, जो लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा चयन के उपरान्त पदभार ग्रहण करने से अस्वीकार कर देते हैं।

(i) पीईएसबी पदों को भरने के संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के दौरान स्पष्ट तौर पर रिक्त परिपत्र में उल्लेख करेगा कि किसी अभ्यर्थी को संबंधित पद हेतु ईच्छा को साक्षात्कार के दौरान ही बताना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक तौर पर अपनी सम्मति प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जा सकेगा।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ हो और पीईएसबी द्वारा चयन किया गया हो, और साक्षात्कार के उपरान्त अपनी अनिच्छा प्रकट करता हो, लेकिन इसे नियुक्ति को प्रक्रियागत करने के पूर्व अवगत कराता हो, को साक्षात्कार की तिथि से किसी भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के पदों में पदभार ग्रहण करने हेतु बोर्ड स्तर पर नियुक्ति से दो वर्षों के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा, केवल उन्हें छोड़कर जिससे कि वह अभ्यर्थी संबंधित है।

(iii) यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाने के उपरान्त अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करता है, तो वह नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से किसी भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के पदों में पदभार ग्रहण करने हेतु बोर्ड स्तर पर नियुक्ति से दो वर्षों के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा, केवल उन्हें छोड़कर जिससे कि वह अभ्यर्थी संबंधित है।

(iv) उपरोक्त मामलों में, किसी भी प्रकार की छूट अथवा अन्यथा किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) ऐसे विवर्जित अभ्यर्थियों की सूची को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अथवा पीईएसबी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त का संज्ञान लें और इसे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सीपीएसई के संज्ञान में लाएं।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(21)/98–जीएम, दिनांकः 24 जनवरी, 2011)

*****